

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में की धारा 17(1) के अधीन गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर धारा 21 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित अपर सांख्यिकीय अधिकारी का स्थानान्तरण स्तम्भ-4 में अंकित स्थानों पर किया जाता है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान / जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थल	अभ्युक्ति
1	श्री अरविन्द मिश्रा, अ०सां०अ०,	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिकक्षा के बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यभार ग्रहण करने तक सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक

संख्या 1009 /स्था०एक/वा०स्थाना०/2018-19 दिनांक 08 जून, 2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ / ऊधमसिंहनगर।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिक।

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में की धारा 17(1) के अधीन गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर धारा 21 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सहायक सांख्यिकीय अधिकारी का स्थानान्तरण स्तम्भ-4 में अंकित स्थानों पर किया जाता है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान/ जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थल	अभ्युक्ति
1	श्रीमती शबनम, स०सा०अ०	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	जनहित
2	श्री गुलशन कुमार, स०सा०अ०	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जनहित

उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा के बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यभार ग्रहण करने तक सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक

संख्या 1010 /स्था०एक/वा०स्थाना०/2018-19 दिनांक 08 जून, 2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिक।

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक